

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 108/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चौनपुरी पुत्र जुगतपुरी वयस्क		1. दलाराम पुत्र धर्मराम
2. अशोकपुरी पुत्र जुगतपुरी वयस्क		2. आसूराम पुत्र धर्मराम
3. जसवंतपुरी पुत्र जुगतपुरी वयस्क		3. कानाराम पुत्र धर्मराम
4. श्रवणपुरी पुत्र जुगतपुरी वयस्क		4. तगाराम पुत्र मांगाराम
5. जुगतपुरी पुत्र भीमपुरी वयस्क		5. दानाराम पुत्र धर्मराम
जाति गोस्वामी निवासी भूका		6. मोहनलाल पुत्र मांगाराम
वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला		7. राणाराम पुत्र मांगाराम
बालोतरा।		8. सीमाराम पुत्र मांगाराम
		9. गजाराम पुत्र पूराराम
		10. दीपाराम पुत्र पूराराम
		11. पेमीदेवी पत्नि पूनमाराम
		जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भूका
		वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला
		बालोतरा।
		12. नेनूदेवी पत्नि खेताराम
		जाति मेघवाल निवासी पूनियों की बस्ती
		आदर्शचवा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला
		बालोतरा।
		13. उमपुरी पुत्र भीमपुरी
		14. भगवतीदेवी पत्नि ओमपुरी
		जाति गोस्वामी निवासी भूका वगतसिंह
		तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
		15. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
		भूका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला
		बालोतरा।
		16. तहसीलदार सिणधरी।



3
जगदीश सिंह
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 (वारस्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री पाबुराम बेनिवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 01.10.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह के ग्राम भूका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 939/627, 627/2 रकबा क्रमश 04.8540, 5.0158 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह के ग्राम भूका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 939/627, 627/2 रकबा क्रमश 04.8540, 5.0158 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह के ग्राम भूका वगतसिंह में खेत खसरा संख्या 939/627, 627/2 रकबा क्रमश 04.8540, 5.0158 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह ग्राम भूका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 939/627, 627/2 रकबा क्रमश 04.8540, 5.0158 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

उपस्थित/अधिवक्ता
सिणधरी

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह ग्राम भूका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 939/627, 627/2 रकबा क्रमश 04.8540, 5.0158 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्ड सहखातेदार है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह के ग्राम भूका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 939/627, 627/2 रकबा क्रमश 4.8540, 5.0158 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
आदेश आज दिनांक 01.10.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी